रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-05112026-277694
CG-UP-E-05112026-277694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5735] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5735] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 2 नवम्बर, 2026

का.आ. 5967(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'क' की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इस से उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पूर्वोत्तर रेलवे की विशेष रेल परियोजना, उत्तर प्रदेश राज्य मे जिला–गोण्डा, के मनकापुर–टिकरी साथ में वाई कनेक्सन मनकापुर (झिलाही–टिकरी) के मध्य (28.37 किमी0) दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोण्डा उत्तर प्रदेश को, लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई

करने तथा ऐसी कोई जाँच, जिसे वह उपयुक्त समझे, करने के पश्चात्, अपने आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ (3) के अनुसार, धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पूर्वोत्तर रेलवे की विशेष रेल परियोजना, उत्तर प्रदेश राज्य मे गोण्डा के मनकापुर–टिकरी साथ में वाई कनेक्सन मनकापुर (झिलाही–टिकरी) के मध्य (28.37 किमी0) दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना के लिए, अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित, संक्षिप्त विवरणः–

जिला–गोण्डा, राज्य–उत्तर प्रदेश

क्रम सं0	जिला	तहसील	गॉव का नाम	प्लाट सं0	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर मे)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गोण्डा	मनकापुर	बंदरा	67/949	0.020	0.008
				योग	**0.020**	**0.008**
2	गोण्डा	मनकापुर	भिटौरा	614	0.271	0.00722
3	गोण्डा	मनकापुर	भिटौरा	628	0.016	0.00275
4	गोण्डा	मनकापुर	भिटौरा	629	0.073	0.05802
				योग	**0.36**	**0.06799**
			कुल योग		**0.38**	**0.07599**

[फा. सं. W/Con/247/GD/ MUR-TRE/Mankapur-LA/20A]

अनुज मित्तल,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAY

[North Eastern Railway(Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 2nd November, 2026

S.O. 5967(E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) & Railway Amendment Act 2008 (11 of 2008) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, situated at District-Gonda of the state of Uttar Pradesh, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the special railway project, namely Mankapur-Tikri with Y-Connection at Mankapur (Jhilahi-Tikri) Doubling Project (28.37 KM) Special Railway Project of North Eastern Railway, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under Section 20D subsection (1) of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority/**Special Land Acquisition Officer** District-Gonda Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after

hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order by the Competent Authority under subsection (2) of Section 20D of the said Act shall be final u/s 20D subsection (3).

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District-Gonda of the State of Uttar Pradesh for Mankapur-Tikri with Y-Connection at Mankapur (Jhilahi-Tikri) Doubling Project (28.37 KM) of North Eastern Railway.

District- Gonda **State-UttarPradesh**

Sr. No.	District	Tahsil	Name of the Village	Plot No.	Total Area (in hectares)	Land Proposed for Acquisition (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Gonda	Mankapur	Bandrah	67/949	0.020	0.008
				Total	**0.020**	**0.008**
	Gonda	Mankapur	Bhitaura	614	0.271	0.00722
	Gonda	Mankapur	Bhitaura	628	0.016	0.00275
	Gonda	Mankapur	Bhitaura	629	0.073	0.05802
				Total	**0.36**	**0.06799**
			Grand Total		**0.38**	**0.07599**

[F. No. W/Con/247/GD/ MUR-TRE/Mankapur-LA/20A]

ANUJ MITTAL, Chief Administrative Officer/Construction

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.11.05 16:27:21 +05'30'